

बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि0,
बेल्ट्रोन भवन, प्रथम मंजिल, शास्त्रीनगर, पटना-23.
दूरभाष संख्या—0612—2281242 2281857, फैक्स—0612—2281857
Website:- www.beltron.in

Ref. No:- 313/20

Date:- 17.01.2020

किराये पर वाहन हेतु निविदा सूचना

निगम कार्य हेतु एक वर्ष के लिए (I) टाटा इंडिगो (II) Innova (III) Scorpio/Xylo/Safari के केवल ए0सी0 वाहन जिसका मॉडल, 2018 के पूर्व का नहीं हो, मासिक किराया एवं दैनिक दर पर ईंधन, रख—रखाव एवं ड्राईवर सहित, उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी एवं पंजीकृत व्यवसायिक वाहन सेवा प्रदाता से मुहरबन्द निविदाएँ पूर्ण विवरण के साथ दिनांक:- 24.02.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है।

निविदा हेतु विहित प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय अथवा Website www.beltron.in & www.prdbihar.gov.in से दिनांक:-24.02.2020 (03:00 बजे अपराह्न) तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन के रूप में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम देय रु0 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक:-24.02.2020 के 4.00 अपराह्न बजे निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

अद्योहस्ताक्षरी को उक्त निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार होगा।

रु0/-
प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर, पटना – 800 023

Website:- www.beltron.in & www.prdbihar.gov.in

Ref. No- ३१३/२०

Date:- १७/०१/२०

निविदा की शर्तें

निगम द्वारा संविदा पर एक वर्ष के लिए मासिक दर पर टाटा इण्डिगो / Innova/Scorpio/Xylo/Safari के केवल ए०सी० वाहन, किराये पर लिये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निविदा के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले गाड़ी का मॉडल (प्रथम पंजीयन का वर्ष) 2018 के पूर्व का न हो। निविदा के साथ निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की सूची गाड़ी व्यवसायिक निबंधन/पंजीकरण संख्या/मॉडल नं०/गाड़ी का प्रकार संलग्न करना होगा। निविदादाताओं को GST के साथ निबंधित होना चाहिए।
2. गाड़ी का उपयोग स्थानीय भ्रमण के साथ—साथ पटना से बाहर भी जाने के लिए किया जा सकता है।
3. अनुबंधित वाहन कार्य दिवस (छ: दिन प्रति सप्ताह) में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कार्य करेगा, परन्तु आवश्यकतानुसार निर्धारित समय से पूर्व/पश्चात वाहन से काम लेने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत है।
4. वाहन आवश्यकतानुसार राजपत्रित अवकाश के दिन भी काम में लिया जा सकता है।
5. वाहन टैक्सी परमिट धारी होना चाहिए।
6. वाहन उपलब्ध नहीं होने/गैर हाजिर होने पर निगम द्वारा बाजार से उस दिन/दिनों के लिए वाहन किराये पर लिया जायेगा एवं अनुबंधित दर से 10% अधिक राशि की वसूली द्वितीय पक्ष के बकाया बिल/जमानत राशि से की जायेगी। अधिकतम जुर्माना (Liquidated damage) की राशि 10% प्रति वाहन का मासिक किराया होगा। नियमों एवं शर्तों के अनुसार वाहन नहीं उपलब्ध कराने की जाँच में गलत पाये जाने पर हर बार रु० 5,000.00 का जुर्माना (LD) देय होगा एवं यह राशि स्वतः मासिक विपत्र से काट ली जायगी।
7. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण जाँच, वाहन चालक का लाईसेंस आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होना चाहिए।
8. वाहन का लॉग बुक चालक के पास रहेगा तथा संबंधित अधिकारी से लॉग बुक में प्रविष्टियाँ करानी होगी। समय—समय पर हर माह चालक निगम में वाहन लाकर Log Book पर कुल किलोमीटर माईलमीटर का सत्यापन करायेंगे। निर्धारित किमी० से अतिरिक्त किलोमीटर वाहन चलाने पर हर माह निगम की स्वीकृति अपेक्षित होगी।
9. किसी प्रकार का टूट—फूट होने या दुर्घटना होने पर इसकी जवाबदेही वाहन मालिक की होगी। रोड पर सभी प्रकार के जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन मालिक हीं जिम्मेवार होंगे। हर दृष्टि से BSEDC Ltd. Indemnified रहेगा। BSEDC Ltd. किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहेगा।
10. पेट्रोल, डीजल ऑयल, मरम्मत एवं चालक आदि का व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा। वाहन में हर समय कम से कम न्यूनतम 10 लीटर ईंधन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
11. अनुबंधित वाहन के मरम्मती की अवधि में निगम को दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा, जो अनुबंधित वाहन के सामान हो अथवा बेहतर हो।
12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं निगम उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
13. वाहन में लगा माईलमीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है, जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जायेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
14. गाड़ी के किलोमीटर की गणना गाड़ी के कार्यालय आने से पुनः कार्यालय से जाने तक की जायेगी।

15. राज्य से बाहर जाने पर समस्त प्रकार के कर, व्यय इत्यादि का वहन BSEDC Ltd. करेगा। टॉल टैक्स का व्यय भी निगम द्वारा वहन मासिक विपत्र के माध्यम से किया जायेगा।
16. वाहन मालिक सहित दोनों पक्ष अनुबंध की अवधि में एक माह की लिखित सूचना पर ही सेवा समाप्त कर सकता है।
यह वाहन अनुबंध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ाई जा सकती है।
17. आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जानेवाला कर मासिक विपत्र में से काट कर नियमानुसार जमा कराया जा सकता है, जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा वाहन मालिक को दी जायेगी। यह समस्त कर राशि स्वीकृत दर से ही काटी जायेगी एवं अलग से देय नहीं होगा। विपत्र में GST स्पष्ट रूप से होना चाहिए। हर तिमाही GST राशि के भुगतान का रसीद/रिट्न निगम को विपत्र के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।
18. वाहन चालक के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर निगम तत्कालिक प्रभाव से वाहन हटा सकेगा, जिस संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा।
19. निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक—16.02.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। निविदा दो भाग में निम्नवत भरा जाएगा।
20. 1) सामान्य भाग

- क) निविदा की विस्तृत विवरणी (फार्म/ निविदा फार्म प्रपत्र संलग्न) निविदा दाता के द्वारा किन-किन रथानों पर सेवा उपलब्ध करायी जा रही है, यह भी दर्शाया जाय।
- ख) PAN की छायाप्रति।
- ग) GST में निबंधन की छायाप्रति।
- घ) अग्रधन के रूप में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम देय रु0 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
- ड.) निविदा प्रपत्र के फार्म एवं निविदा की शर्तों के हस्ताक्षरीत कर सामान्य भाग के लिफाफा में डाला जायगा।

2) वित्तीय भाग

- सभी कर सहित दर विहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा। (वित्तीय निविदा पत्र संलग्न)
- उपरोक्त दोनों लिफाफा को एक लिफाफा में सील कर जमा करना होगा। इस कंडिका के कागजात एवं प्रपत्र पूर्णतः भरे नहीं रहने एवं /अथवा हस्ताक्षरित नहीं रहने तथा अग्रधन नहीं जमा किये जाने पर निविदा अविलम्ब Reject करने का अधिकार BSEDLtd. के पास रहेगा।

21. निविदाएं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा 16.02.2018 को अपराह्न 4.00 बजे निगम कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
22. दर स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखी जायेगी, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नहीं की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखी हुई होने की स्थिति में उस पर लघु हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करना आवश्यक होगा।
23. वैद्यता—
निविदा की वैद्यता इसके खोलने की तिथि से तीन माह तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता का दर अनुमोदित किया जायगा, उसे वाहन उपलब्ध कराने के पूर्व वाहन से संबंधित कंडिका-7 एवं कंडिका 20 में वर्णित कागजात की जांच कर संपुष्ट होने के पश्चात ही उपलब्ध करायेंगे।

ANEXTURE-(I)
Commercial Bid.

Vehicle on Monthly Basis (Considering 26 working days and 1500 K.M/Month)

Sr. No.	Type of Vehicle-(A/C)	Fixed Rate (in Rs.)	Extra Kms. Over and above 1500 km (in Rs.)
1	Tata Indigo (A/c)		
2	Innova (A/c)		
3	Scorpio/xylo/Safari (A/c)		
	Night halt		

Vehicle on Monthly Basis (Considering 26 working days and 2000 K.M/Month)

Sr. No.	Type of Vehicle-(A/C)	Fixed Rate (in Rs.)	Extra Kms. Over and above 2000 km (in Rs.)
1	Tata Indigo (A/c)		
2	Innova(A/c)		
3	Scorpio/xylo/Safari (A/c)		
	Night halt		

- Note :-1. Overwriting is not allowed in this Commercial Bid.
 2. L1 Shall be decided on the basis of minimum fixed rates quotes of vehicle.

निविदादाता का नाम, दिनांक, हस्ताक्षर एवं मोहर

ANEXTURE-(II)
Commercial

Vehicle on Daily Basis (Outstation Journey) for 200 K.M

Sr. No.	Type of Vehicle-(A/C)	Fixed Rate (in Rs.)	Extra Kms. Over and above 200 km (in Rs.)
1	Tata Indigo (A/c)		
2	Innova(A/c)		
3	Scorpio/xylo/Safari (A/c)		

Note :- 1. Overwriting is not allowed in this Commercial Bid.
2. L1 Shall be decided on the basis of minimum fixed rate quotes of vehicle.

निविदादाता का नाम, दिनांक, हस्ताक्षर एवं मोहर

बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर, पटना – 800 023

Website:- www.beltron.in & www.prdbihar.gov.in

Ref. No:-

Date:-

किराये पर वाहन हेतु निविदा फार्म

1. निविदाकर्ता का नामः—
2. पता:-
3. मोबाईल नं०—
4. पैन नं० (छायाप्रति संलग्न) :-
5. जी० एस० टी० में निबंधन सं० (निबंधन की छायाप्रति संलग्न करें) :-
6. वाहनों का नाम सहित रजि० नं० (व्यवसायिक निबंधन की छायाप्रति संलग्न करें) :-
7. वाहन चालकों का ड्राईरिंग लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें:-
8. वाहनों के बीमा के कागजात की छायाप्रति संलग्न करें:-
9. अनुभव प्रमाण-पत्र (संलग्न करें) का विवरण ।
10. निविदादाता का टर्न ओवर कम से कम रु० 20,0,000.00 (रु० बीस लाख) वार्षिक होना
चाहिए (Audited balance sheet 2016-17 संलग्न करें) ।

निविदादाता का नाम, हस्ताक्षर एवं मोहर